

भारत सरकार
कृषि एवं कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2729
19 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले

2729. श्री सच्यद ईमत्याज जलील:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किसानों में आत्महत्या के मामलों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कृषि श्रमिकों, किसानों, खेतिहरों और महिला किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे;
- (घ) क्या किसानों द्वारा अपने उत्पादों का अपेक्षित मूल्य प्राप्त न कर पाने के कारण वित्तीय चिंता और हताशा के कारण किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन किसानों की वित्तीय रूप से सहायता करने के साथ-साथ उन्हें भावनात्मक और सामाजशास्त्रीय रूप से सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू की गई है/शुरू की जानी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ङ.): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) नामक शीर्षक से अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं से संबंधित जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (<https://ncrb.gov.in>) पर उपलब्ध है।

कृषि राज्य का विषय होने के कारण, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। खेती को अधिक लाभकारी बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में, जब सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा मत्स्यपालन विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अभिन्न अंग थे, तब कुल बजट आवंटन मात्र एक 30,223.88 करोड़ रु. था। इन मंत्रालयों/विभागों के अलग होने के बावजूद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,25,035.79 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

2. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता

वर्ष 2019 में पीएम-किसान का शुभारंभ - यह 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान करने वाली आय सहायता योजना है। दिनांक 30.11.2023 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं।

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

सात वर्षीय (अनंतिम) - किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं का समाधान करते हुए वर्ष 2016 में पीएमएफबीवाई को लॉन्च किया गया था। कार्यान्वयन के पिछले 7 वर्षों में - 49.44 करोड़ किसान आवेदन नामांकित हुए और 14.06 करोड़ से अधिक (अनंतिम)

किसान आवेदकों को 1,46,664 करोड़ रुपये से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा अपने हिस्से के प्रीमियम के रूप में लगभग 29,183 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसकी तुलना में उन्हें 1,46,664 करोड़ रुपये (अंतिम) से अधिक दावों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए, उन्हें दावों के रूप में लगभग 502 रुपये प्राप्त हुए हैं।

डिजीकलेम- दावों की गणना और भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए और इन दावों को सीधे किसान के खाते में दावा भुगतान मॉड्यूल पीएफएमएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से अंतरित किया जा रहा है। यह पहल खरीफ 2022 मौसम के दावों के भुगतान के लिए 23 मार्च, 2023 को शुरू की गई है। सभी दावों का भुगतान अब बीमा कंपनियों द्वारा डिजीकलेम के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में किया जाता है।

4. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण

- वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 21.55 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।
- पशुपालन एवं मात्स्यिकी किसानों को उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वार्षिक 4% ब्याज पर केसीसी के माध्यम से रियायती संस्थागत ऋण का लाभ भी दिया गया है।
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 से विशेष अभियान चलाया गया है। दिनांक 20.10.2023 तक, अभियान के हिस्से के रूप में **5,47,819** करोड़ रुपये की स्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ 482.73 लाख नए केसीसी आवेदनों को मंजूरी दी गई है।

5. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना निर्धारित करना -

- सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिफलन के साथ एमएसपी में वृद्धि की है।
- धान (सामान्य) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2183 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
- गेहूं का एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2023-24 में 2275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।

6. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना

- देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शुरू की गई थी। 32,384 क्लस्टर का गठन किया गया है और 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिससे 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया।
- सरकार भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना के माध्यम से सतत प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव रखती है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य खेती की लागत में कमी करना, किसानों की आय बढ़ाना है और संसाधन संरक्षण व सुरक्षित और स्वस्थ मृदा, पर्यावरण और भोजन सुनिश्चित करना है।

iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) लॉन्च किया गया है। 189039 किसानों को शामिल करके 1,72,966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 379 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।

7. प्रति बूंद अधिक फसल:

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात् ड्रिप और स्पिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना, इनपुट की लागत को कम करना और कृषि स्तर पर उत्पादकता में वृद्धि करना है। वर्ष 2015-16 से पीडीएमसी योजना के माध्यम से अब तक 81.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है और 18,893.74 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

8. सूक्ष्म सिंचाई कोष:

नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक कॉर्पस निधि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में कोष की निधि बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये की जानी है। अब तक 4,710.96 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है।

9. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2020 को वर्ष 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नए 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन हेतु एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई है।
- दिनांक 31.10.2023 तक इस योजना के तहत 7,476 नई एफपीओ एफपीओ को पंजीकृत किया गया है।
- 2,663 एफपीओ को 113.68 करोड़ रुपये का इक्विटी अनुदान जारी किया गया है।
- 918 एफपीओ को 213.82 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया है।

10. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) को वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में 500.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 3 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21 से 2022-23 के लिए शुरू किया गया था और इस योजना को आवंटित बजट 500.00 करोड़ रुपये में से उपलब्ध बजट 370.00 करोड़ रुपये के साथ वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास और "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन वर्षों अर्थात् 2023-24 से 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है।

11. कृषि यंत्रीकरण

कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों की कठिनाई को कम करने के लिए कृषि यंत्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 से मार्च, 2023 की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 6405.55 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। सब्सिडी पर किसानों को 15,23,650 मशीनें और उपकरण प्रदान किए गए हैं। किसानों को किराये पर कृषि मशीनों और उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए 23,018 कस्टम हायरिंग सेंटर, 475 हाई-टेक हब और 20,461 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, 37937 कृषि मशीनरी के वितरण के लिए, 1916 कस्टम हायरिंग केंद्रों हेतु 41 हाईटेक केंद्रों और 82 कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए राज्यों को 252.39 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

12. नमो ड्रोन दीदी:

सरकार ने हाल ही में 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य कृषि प्रयोजन (उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये पर ड्रोन की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15000 चयनित महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करना है। कुल 15000 ड्रोन में से पहले 500 ड्रोन की खरीद अग्रणी उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) द्वारा वर्ष 2023-24 में चयनित एसएचजी को वितरण करने हेतु उनके

आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके की जाएगी। इस योजना के तहत, शेष 14500 ड्रोन ड्रोन की खरीद के लिए महिला एसएचजी को ड्रोन की लागत की 80% और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क हेतु अधिकतम 8.0 लाख रुपये तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एसएचजी के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्त पोषण सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत घटाकर सब्सिडी) बढ़ा सकते हैं। सीएलएफ को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों के लाभ के लिए बेहतर दक्षता, उगाई गई फसल उपज और संचालन की कम लागत के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी। यह योजना एसएचजी को सतत व्यवसाय और आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी तथा वे प्रति वर्ष कम से कम 1.0 लाख रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।

13. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना

पोषक तत्वों के इष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को निम्नलिखित संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं-

- i. चरण-I (2015 से 2017) - 10.74 करोड़
- ii. चरण-II (2017 से 2019) - 12.19 करोड़
- iii. आदर्श ग्राम कार्यक्रम (2019-20) - 23.71 लाख
- iv. वर्ष 2020-21 में- 11.52 लाख

14. ई-नाम विस्तार प्लेटफॉर्म की स्थापना

- i. ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ 23 राज्यों और 04 संघ राज्य क्षेत्रों की 1388 मंडियों को जोड़ा गया है। अतिरिक्त 27 मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया गया है जिसमें जम्मू-कश्मीर (6) मध्य प्रदेश (3) महाराष्ट्र (14) उत्तराखंड (4) शामिल हैं।
- ii. दिनांक 31.10.2023 तक, 1.76 करोड़ किसानों और 2,49,903 व्यापारियों को ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कुल 8.47 करोड़ मीट्रिक टन और 29.25 करोड़ (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का कुल मिलाकर लगभग 2.98 लाख करोड़ रुपये का व्यापार दर्ज किया गया है।

15. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम मिशन की शुरुआत

अगस्त, 2021 के दौरान नई केंद्रीय प्रायोजित योजना नामतः राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) शुरू किया गया जिसका उद्देश्य ऑयल पाम क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना, सीपीओ उत्पादन में वृद्धि करना और खाद्य तेल के संबंध में आयात का बोझ कम करना है। इस मिशन के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक अगले 5 वर्षों में 11,040 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ऑयल पाम वृक्षारोपण के अंतर्गत 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया जाएगा, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत के लिए 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र होगा।

16. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जो किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए केसीसी के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण दिया जाता है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय संस्थानों को 1.5% की दर से ब्याज छूट दी जा रही है। इसलिए, कृषि और पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि सहित अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों को प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण उपलब्ध हैं। ऋणों की शीघ्र और समय पर चुकौती के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) भी दिया जाता है; इस प्रकार ब्याज की प्रभावी दर को घटाकर 4% प्रति वर्ष कर दिया गया है। केवल

संबद्ध गतिविधियों (फसल पालन के अलावा) हेतु प्राप्त अल्पकालिक ऋण के मामले में, 2.00 लाख रुपये तक की ऋण 7% की दर से उपलब्ध हैं। इस पर अतिरिक्त 3% पीआरआई भी उपलब्ध है।

केसीसी के तहत अधिकतम संख्या में किसानों को लाना ताकि उन्हें संस्थागत बैंकिंग प्रणाली से रियायती दर पर ऋण मिल सके, इसके लिए सरकार फरवरी, 2020 से किसानों को केसीसी परिपूर्णता के लिए एक अभियान चला रही है ताकि पीएम-किसान लाभार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी शेष किसानों को कवर किया जा सके।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2.5 करोड़ किसानों को लगभग 2.00 लाख करोड़ रुपये के ऋण प्रवाह से कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। पीएम-किसान के लाभार्थियों पर विशेष ध्यान देने के साथ पात्र और इच्छुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। इससे ऐसे किसानों को रियायती ब्याज दर पर संस्थागत ऋण तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिली। इस अभियान के भाग के रूप में दिनांक 15.10.2021 तक 2.5 करोड़ किसानों को कवर करने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और 03.11.2023 तक, 5,51,101 करोड़ रुपये की स्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ 451.98 लाख नए केसीसी आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। एमआईएसएस जिसके तहत केसीसी योजना संचालित होती है, के लिए बजट अनुमान वर्ष 2023-24 हेतु 23000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

पीएम-किसान लाभार्थियों की परिपूर्णता प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देते हुए संशोधित केसीसी परिपूर्णता अभियान अर्थात "घर घर केसीसी अभियान" शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पीएम-किसान लाभार्थियों को केसीसी से परिपूर्ण करने के लिए ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति के तहत एक विशेष अभियान के माध्यम से संभावित किसानों को एकजुट करना तथा सभी प्रकार की केसीसी योजनाओं (फसल की खेती, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन आदि के लिए) के तहत अधिकतम संख्या में किसानों/पीएम-किसान के लाभार्थियों को नामांकित करना है।

17. कृषि अवसंरचना कोष

देश में एक लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना को देश में कृषि अवसंरचना में सुधार करने हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

18. कृषि उपज संभार तंत्र में सुधार, किसान रेल की शुरुआत।

किसान रेल को रेल मंत्रालय द्वारा शीघ्र खराब होने वाली कृषि बागवानी वस्तुओं की आवाजाही को आसान करने के लिए शुरू किया गया है। पहली किसान रेल जुलाई 2020 में शुरू की गई थी। दिनांक 28 फरवरी 2023 तक 167 रूटों पर 2359 सेवाएं संचालित की गई हैं।

19. एमआईडीएच- कलस्टर विकास कार्यक्रम

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक (दिनांक 31.10.2023 तक) एमआईडीएच की एनएचएम/एचएमएनईएच योजना के प्रमुख घटक के तहत वास्तविक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

- क्षेत्र विस्तार:- चिन्हित बागवानी फसलों के 12.95 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर किया गया है।
- पौधशालाएँ:- गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री के उत्पादन हेतु 872 पौधशालाएँ स्थापित की गई हैं।
- पुनरूद्धार:- पुराने और जीर्ण बागानों के 1.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का कायाकल्प किया गया है।
- जैविक खेती:- जैविक पद्धतियों के तहत 52069 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
- संरक्षित खेती:- संरक्षित खेती के तहत 3.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
- जल संसाधन:- 49979 जल संचयन अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है।
- मधुमक्खी पालन:- छत्तों सहित 15.93 लाख मधुमक्खी कालोनियों का वितरण किया गया है।
- बागवानी यंत्रिकरण:- 2.60 लाख बागवानी यंत्रिकरण उपकरण वितरित किए गए हैं।
- फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना: - 1.14 लाख फसलोपरांत प्रबंधन इकाईयों की स्थापना की गई है।

- मंडी अवसरंचना:- 14349 मंडी अवसरंचना स्थापित की गई हैं।
- किसानों का प्रशिक्षण:- मानव संसाधन विकास के तहत 9.11 लाख किसानों को विभिन्न बागवानी गतिविधियों के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

20. कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप व्यवस्था का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान अब तक 1259 स्टार्ट-अप्स को विभिन्न नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई) द्वारा चुना गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आरकेवीवाई कृषि-स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत इन स्टार्ट-अप्स के वित्त पोषण के लिए संबंधित केपी और आर-एबीआई को किशतों में सहायता अनुदान के रूप में 83.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

21. कृषि एवं संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

देश में कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2020-21 की तुलना में कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं का निर्यात 2020-21 के 41.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 50.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, अर्थात इस प्रकार 19.99% की वृद्धि हुई है।
